By Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Review-5/ONGC/2017/RU-I

Date: 28/08/2017

To

The Chairman- & Managing Director,
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.,
5 A, Vasudhara Bhavan,
Aliavar Jung Marg, Bandra East,
Mumbai – 400051.

Sub: Review of Central Public Sector Undertakings ONGC with regard to Reservation in appointments & welfare for tribals.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Tour Report dated 03/07/2017 to 05/07/2017 of Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member, NCST on the subject mentioned above for necessary action.

It is requested that reply / Action Taken Report on the Tour Report may be furnished to this Commission at the earliest.

Enclosure: as above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

1. SSA NIC (for uploading on the website of the Commission)

(13)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

दौरा रिपोर्ट–

1.	**दौरा करने वाले पदाधिकारी का नामः**	श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य	
2.	**दौरे की तिथि :**	3 – 5 जुलाई, 2017 तक	
3.	**दौरा किया गया स्थान :**	1.	पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुम्बई (महाराष्ट्र)
		2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लि0 (ओएनजीसी), मुम्बई
4.	**मुख्य व्यक्ति/अधिकारीगण/संगठन से मिले**	1.	पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुम्बई की अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी
		2.	पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुम्बई के पदाधिकारी
		3.	ओएनजीसी, मुम्बई की अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारी
		4.	ओएनजीसी, मुम्बई के पदाधिकारी
5.	**दौरे के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–**		

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, उप सचिव, श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी और सहायक निदेशक, श्री राजेश्वर कुमार ने दिनांक 3–5 जुलाई, 2017 को क्रमशः पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुम्बई तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लि0 (ओएनजीसी), मुम्बई में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

(1) दिनांक 03.07.2017 – पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुम्बई की 'अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, पश्चिम जॉन' के जॉनल प्रेसीडेंट, श्रीमती एस.ए. वावल, जॉनल सेक्रेटरी, श्री ओ.पी. बैरवा, जॉनल कार्यकारी प्रेसीडेंट, श्री आर.पी. मीणा तथा अन्य पदाधिकारियों ने सदस्य महोदय का स्वागत किया।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(14)

(माननीय सदस्य महोदय का स्वागत करते हुए पश्चिम रेलवे मुख्यालय के अ.जा./अ.ज.जा. एसोसिएशन के पदाधिकारी)

रेलवे एसोसिएशन के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि–

(i) एससीएसटी सम्मेलनों या आयोग की बैठकों या एसोसिएशन की अन्य गतिविधियों को करने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती हैं।

(ii) सामुदायिक हॉल में ट्रेड यूनियन की भागीदारी होती है परन्तु एससीएसटी की भागीदारी नहीं होती है। उसमें एससीएसटी एसोसिएशन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

(iii) एससीएसटी का स्थानान्तरण करते समय एसोसिएशन से भी विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।

(iv) एसोसिएशन में यह भी अनुरोध किया कि डीआरएम के कार्यालय में बाबा साहब डा0 अम्बेडकर का फोटो होना चाहिए।

Harshadbhai Vasa
Member
National Commission for Schedul
Govt. of India
New Delhi

उपरोक्त के अलावा एसोसिएशन की जॉनल प्रेसीडेंट, श्रीमती एस.ए. वावल और जॉनल सेक्रेटरी, श्री ओ.पी. बैरवा ने अपनी समस्याओं के बारे में सदस्य महोदय को एक ज्ञापन दिया तथा एक ज्ञापन उन्होंने रेल मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री, भारत सरकार को भेजने के लिए भी दिया। उक्त दोनों ज्ञापनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पश्चिम रेलवे मुख्यालय, रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भिजवाया जाएगा।

सांय 3.00 बजे पश्चिम रेलवे कार्यालय के पदाधिकारियों ने सदस्य महोदय का स्वागत किया और उनके साथ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की।

(माननीय सदस्य महोदय का स्वागत करते हुए पश्चिम रेलवे मुख्यालय के पदाधिकारी)

अधिकारियों ने रेलवे के संचालन प्रक्रिया पर प्रस्तुतीकरण भी दिया और रेलवे की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि –

(i) समूह क, ख और ग पदों को सीधी भर्ती द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा भरा जाता है तथा पदोन्नति भी रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है। समूह घ में भर्ती रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा जॉनल रेलवे प्रशासन स्तर पर की जाती है। सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को स्वीकार्य छूट आदि भी प्रदान की जाती है। पदोन्नति में विधि द्वारा स्थापित मानकों का पालन किया जाता है।

Harshadbhai Vasav
Member
National Commission for Scheduled
Govt. of India
New Delhi

(16)

(ii) किसी पद को डि–रिजर्व नहीं किया गया है और न ही परिवर्तित किया गया है।

(iii) यौन उत्पीड़न का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(iv) वर्ष 2016–17 के दौरान 3215 शिकायतें प्राप्त हुई जिन सभी का समाधान कर दिया गया।

(v) पश्चिम रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लोक कल्याण के लिए शिक्षा के लिए स्कूल अनुसूचित जनजातियों के लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रवृति तथा 2800 रूपए ग्रेड पे तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों को बालिका की शिक्षा के लिए छात्रावास सहायता के रूप में 1000 रूपए प्रति माह दिए जाते हैं।

प्रश्नावली में भरी गई जानकारी की समीक्षा करने के बाद उसे सही पाया गया परन्तु समूह ख वर्ग में वर्ष 2014, 2015 और 2016 में पदोन्नति में शॉर्टफाल देखा गया था तथा समूह ग में वर्ष 2014, 2015 और 2016 में सीधी भर्ती में तथा पदोन्नति में शॉर्टफाल देखा गया। कोई बैकलॉग रिक्ति नहीं है। (कार्रवाईः रेलवे बोर्ड)

अंत में सदस्य महोदय को धन्यवाद देते हुए समीक्षा बैठक समाप्त हुई।

(2) दिनांक 04.07.2017 को सदस्य महोदय ने ओएनजीसी, मुम्बई की पनवेल स्थित प्रयोगशालाओं/प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थलीय दौरा किया। दौरा के दौरान वहां उपस्थित सभी अधिकारियों ने माननीय सदस्य का स्वागत किया तथा ओएनजीसी द्वारा भारत में, गहरे समुद्र तल में तथा विदेशों में की जा रही तेल व प्राकृतिक गैस की खोजों के बारे में विस्तार से बताया तथा प्रस्तुतीकरण भी दिया। माननीय सदस्य ने सभी इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों से ओएनजीसी की उपलब्धि के बारे में किए गए कार्यों की सराहना की तथा उन्हें इस जोखिम भरे कार्य को आगे बढ़ाते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रयोगशाला/प्रशिक्षण केन्द्र में यह भी दिखाया गया कि वैज्ञानिक गहरे समुद्रतल, रेगिस्तान तथा बीहड़ क्षेत्रों में अपने ड्रीलिंग कार्य को किस प्रकार से पूरा करते हैं।

(3) दिनांक 05.07.2017 – माननीय सदस्य महोदय ने ओएनजीसी कार्यालय का दौरा किया। वहां "अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन" के पदाधिकारियों ने सदस्य महोदय का स्वागत किया।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

सदस्य महोदय ने बैठक के दौरान उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि–

(माननीय सदस्य महोदय का स्वागत करते हुए ओएनजीसी की अ.जा./अ.ज.जा. एसोसिएशन के पदाधिकारी)

(i) ई–6 से ई–9 तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं है जिसके कारण ऊपरी पदों पर हमारे बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं।

(ii) समूह क पदों के लिए GATE और Campus selection के बजाय खुली प्रतियोगिता से चयन किया जाना चाहिए।

(iii) ओएनजीसी समूह की अन्य कम्पनियों जैसे OPEL, MRPL, PETRONET LNG, OTPC, OMPL आदि जिनमें ओएनजीसी का बहुत बड़ा स्टेग है, में भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

(iv) समूह क पदों की भर्ती में पात्रता के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत अंकों की छूट के प्रावधान को पुनः बहाल किया जाना चाहिए।

(v) विशेष भर्ती अभियान/शॉर्टफाल के लिए अलग रोस्टर होना चाहिए।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled T
Govt. of India
New Delhi

(vi) यूपीएससी की तरह उपरी श्रेणी 3 से श्रेणी 2 तक पदोन्नति में जॉब लिंक टेस्ट (Job Link Test) में असीमित मौके दिए जाने चाहिए।

(vii) आर एण्ड पी नीति बनाने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी होने चाहिए।

(viii) कारपोरेट स्तर पर उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति जिनके नाम कैरियर ग्रोथ स्कीम के अंतर्गत 10 वर्षों से भी अधिक पर विचार नहीं किया जाता है, की जानी चाहिए।

(ix) ओएनजीसी के सभी ठेकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का निर्धारित प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देशा बनाए जाने चाहिए।

(x) सभी मृतक आश्रितों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

(xi) सीआरआर फण्ड का 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आवासित क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए।

(xii) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (सीडब्ल्यूसी) को नई दिल्ली में कार्यालय भवन दिया जाना चाहिए।

(xiii) राजामुन्दरे में न्यायालय निर्णय के आधार पर श्रेणी चार पदों की भर्ती/नियमितीकरण के विरूद्ध परिणामी बैकलॉग/शॉर्टफाल को भरना और रोस्टर तैयार करना चाहिए।

(xiv) राजामुन्दरे में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 18 फील्ड ऑपरेटर (Tenure Based) पद को भरना।

(xv) विदेश में प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति अधिकारियों का अलग बैच आरक्षण प्रतिशत के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मुम्बई शाखा ने भी अपने 10 बिन्दु निम्नानुसार ज्ञापन में प्रस्तुत किए–

(i) 100 कि.मी. की सीमा के प्रतिबंध हटाकर समस्त महाराष्ट्र में सीएसआर और एससीएसटी कम्पोनेन्ट प्लान प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करना।

(ii) विभिन्न न्यायालय आदेशों के कारण मुम्बई में सीधी कर्मचारियों के नियमितीकरण में परिणामी रिक्तियों को भरना।

(iii) मुम्बई में सुरक्षा खंड में भर्ती के प्रति सृजित बैकलॉग को भरना।

(iv) एल–1 श्रेणी और एसेट मैनेजर लेवल में वरिष्ठ एससी/एसटी अधिकारियों की आनुपातिक तैनाती।

(v) एससी/एसटी अधिकारियों को कम से कम एक बार विदेश में प्रशिक्षण।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(vi) ई–5 से ई–9 तक पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व।

(vii) एसटीएससी उद्यमियों को को ठेका देने में 4 प्रतिशत की सीमा बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना।

(viii) सामग्री और सेवाओं की खरीद में संलग्न सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदी कार्यक्रम उपलब्ध कराना

(ix) ओएनजीसी को भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर के 126वें जन्म दिवस के दौरान सीएसआर फंड से विदेश में उच्च शिक्षा देने के लिए 100 एससी/एसटी विद्यार्थियों को प्रायोजित करना।

(x) सभी विदेशी तैनाती में OVL को अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु ओएनजीसी प्रबंधन को भेजा जाएगा। (कार्रवाई : ओएनजीसी)

दिनांक 05.07.2017 को 03:00 अपराह्न माननीय सदस्य ने भोजन उपरांत ओएनजीसी प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की। ओएनजीसी के पदाधिकारियों ने सदस्य महोदय का स्वागत किया और फिर प्रश्नावली के आधार पर पदाधिकारियों से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने बताया कि –

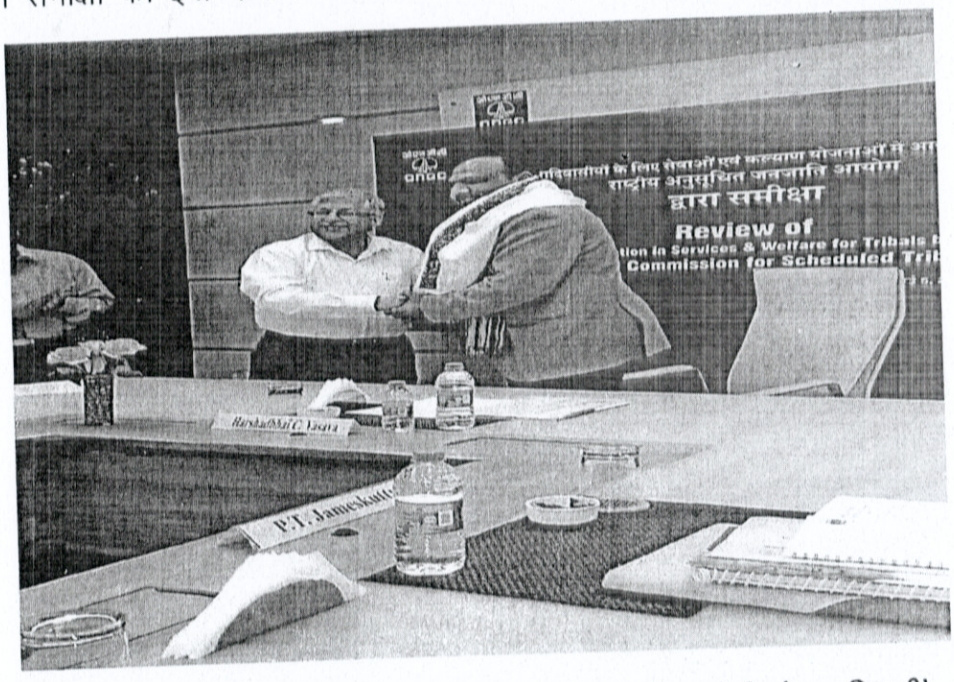

(माननीय सदस्य महोदय का स्वागत करते हुए ओएनजीसी के पदाधिकारी)

(i) भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(ii) ई–1 से ई–4 तक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है तथा ई–4 से उपर कार्य दक्षता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है। फिर भी ई–4 से उपर वर्ष 2015 में 5.96 प्रतिशत वर्ष 2016 में 6.21 प्रतिशत तथा वर्ष 2017 में 7.35 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति थी। आरक्षण न होते हुए भी वर्ष 2014–15 में 4.86 प्रतिशत, वर्ष 2015–16 में 4.55 प्रतिशत और वर्ष 2016–17 में 7.59 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण/सम्मेलन/संगोष्ठि आदि के लिए भेजा गया।

(iii) किसी पद को डि–रिजर्व नहीं किया गया है और न ही परिवर्तित किया गया है।

(iv) यौन उत्पीड़न का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(v) माननीय महोदय ने अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग, भू–विज्ञान, भू–भौतिकी, एमबीए और एमबीबीएस के लिए लगभग 169 छात्रवृतियां प्रदान की गई।

माननीय महोदय ने एसोसिएशन द्वारा दी मांगों को प्रबंधन के समक्ष भी उठाया। कुछ मांगों पर उन्होंने शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। महोदय ने प्रबंधन को यह सुझाव दिया कि सीधी भर्ती परीक्षा से पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग भी दिया जाना चाहिए। इस पर ओएनजीसी प्रबंधन ने गंभीरता से कार्य करने का आश्वासन दिया।

अंत में सदस्य महोदय को धन्यवाद देते हुए समीक्षा बैठक समाप्त हुई।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi